रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2017/चैत्र 10, 1939
No. 131] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2017/CHAITRA 10, 1939

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का 25) द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय]

अधिसूचना

बिलासपुर, 29 मार्च, 2017

सं. 1072/अकादमी/2017.—केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 28(2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर कुलपति के द्वारा निर्मित विश्वविद्यालय के निम्नानुसार प्रथम अध्यादेशों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है :—

v/;kn'k Øekd & 2

v/;;u e.My d xBu ,o bldh lnL;ksa dh inkof/k fo"k;d v/;kn'k

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 – धारा 23, परिनियम 16(2)]

1. प्रत्येक अध्ययन मण्डल का गठन तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।

2. अध्ययन मण्डल में निम्नानुसार सदस्य होंगे, यथा :

(i) विभाग के सभी आचार्य पदेन सदस्य होंगे।

(ii) (a) संबंधित विभाग के अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष होंगे।

(b) विभाग के अध्यक्ष के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में वरिष्ठतम सदस्य बैठक में अध्यक्ष के कार्य का निर्वहन करेंगे।

(iii) एक वरिष्ठतम सह आचार्य एवं एक वरिष्ठतम सहायक आचार्य, चक्रीय अनुक्रम में कुलपति द्वारा नामित, अध्ययन मण्डल के सदस्य होंगे।

(iv) कुलपति द्वारा नामित एक बाह्य विषय विशेषज्ञ सदस्य, जो विश्वविद्यालय से सम्बद्ध न हो।

(v) विश्वविद्यालय के विभाग के शिक्षक की अध्ययन मण्डल की सदस्यता समाप्त हो जायेगी यदि वह संबंधित विभाग का शिक्षक नहीं होगा।

vi) ऐसी अन्य रिक्तियां शेष अवधि के लिए भरी जा सकती है।

3. सभी अध्ययन मण्डलों की बैठक सामान्यतः वर्ष में कम से कम एक बार होगी और अन्य अवसरों पर होगी, जैसा कुलपति द्वारा निर्धारित किया जाय।

4. अध्ययन मण्डल की बैठक की गणपूर्ति सदस्यों की 50% प्रतिशत से होगी।

5. अध्ययन मण्डल के समक्ष विचार हेतु रखे जाने वाले सभी विषयों का निर्धारण उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होगा। किसी विषय पर बराबर मत होने की स्थिति में, अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

6. यदि कुलपति की राय में, किसी विषय पर विचार के लिए अध्ययन मण्डल की बैठक आवश्यक या समीचीन नहीं है और यदि वह तय करें कि अध्ययन मण्डल के सदस्यों के बीच वितरण से विषय को समाप्त किया जा सकता है, तो वे इसके लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकते हैं।

v/;kn'k Øekd & 14

Hk"kt Lukrd ¼ch-Qke-½ mikf/k ikB;dze dh mikf/k inku djus dk fofu;fer djus dk v/;kn'k

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 – धारा 28(i)(b)]

;g v/;kn'k 'k{kf.kd l= 2009&10 l ykxw gksxkA

1- ikB;dze dk uke % भेषजी स्नातक (बी.फार्म)

2- v/;;u'kkyk % प्राकृतिक संसाधन अध्ययनशाला

3- ikB;dze dh vof/k % चार वर्ष/8 सेमेस्टर प्रत्येक सेमेस्टर, परीक्षा के दिनों को छोड़कर, न्यूनतम 15 सप्ताह का होगा।

4- LFkku % पीसीआई के मानकों/विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार समय–समय पर स्थानों की कुल संख्या का निर्धारण होगा।

5- 'kYd % विश्वविद्यालय द्वारा समय –समय पर यथा निर्धारित

6- ikB;dze lajpuk % पाठ्यक्रम संरचना विश्वविद्यालय के अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित /परिष्कृत की जायेगी।

7- izos'k dh fy, ik=rk %

(ए) भेषजी स्नातक उपाधि प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को भौतिकी + रसायनशास्त्र + गणित या जीवविज्ञान विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त हायर सेकण्डरी एजुकेशन बोर्ड से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(बी) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया/विश्वविद्यालय के मानकों के अनुसार पीसीआई से मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम कुल 60 प्रतिशत अंकों के साथ भेषजी में डिप्लोमा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी बी.फार्म सेमेस्टर –III में सीधे प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

(सी) विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर प्रवेश की प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी।

8- v/;kiu dk ek/;e % अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी होगा।

9- ijh{kk dh ;kstuk %

(ए) परीक्षा की योजना पीसीआई/विश्वविद्यालय के मानकों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

(बी) किसी छात्र को किसी सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक उसकी उपस्थिति उस सेमेस्टर के प्रत्येक सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं में पृथक–पृथक रूप से 75 प्रतिशत न हो।

¼lh½ l=h; dk;l % प्रत्येक सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्रों में 20 प्रतिशत सत्रीय कार्य के अंक निम्नानुसार आबंटित किये जायेंगे –

(i) सैद्धांतिक परीक्षा : प्रत्येक सेमेस्टर में हर सैद्धांतिक प्रश्न पत्र के लिए दो सत्रीय परीक्षाएं आयोजित की जायेंगी, जिसमें से छात्र द्वारा उत्तरित किसी एक परीक्षा के श्रेष्ठतम अंक को सत्रीय अंक प्रदान करने के लिए उपयोग किया जायेगा।

(ii) प्रायोगिक परीक्षा : दिन प्रतिदिन की उपस्थिति, मौखिकी, प्रायोगिक कार्य अभिलेख के आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे।

किसी भी विषय के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के सत्रीय अंकों में समुन्नति का कोई भी प्रावधान नहीं होगा।

IndiaCode

¼Mh½ ijh{kk & समय समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा पद्धति के अनुसार प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्र के लिए विश्वविद्यालय एक परीक्षा आयोजित करेगा।

(i) सभी विषयों की परीक्षा में शामिल होने एवं उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी अगले समेस्टर में प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी जब तक पहले और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता, उसे पांचवे सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उसी प्रकार अभ्यर्थी जब तक पहले चार सेमेस्टर की परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं कर लेता, उसे सातवें सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ii) किसी विषय को उत्तीर्ण करने के लिए केवल तीन लगातार अवसर दिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी चार प्रयासों (पहले प्रयास को मिलाकर) में किसी विषय में उत्तीर्ण नहीं होता, तो उसे पढ़ाई जारी रखने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(iii) जो अभ्यर्थी पूर्ण योग का 50 प्रतिशत अंक भी प्राप्त नहीं कर पाते, परंतु सभी विषयों में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, वे अगली परीक्षा में अपनी पसंद के अनुसार दो सैद्धांतिक एवं एक प्रायोगिक प्रश्न पत्र में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। इसके लिए दो अतिरिक्त प्रयासों से अधिक अवसर नहीं दिये जायेंगे, जिसमें सफल नहीं होने पर अभ्यर्थी को नये शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने पर उसी सेमेस्टर की अगली परीक्षा सभी विषयों में नए छात्र के रूप में देनी होगी और उच्च कक्षा में उसका प्रवेश स्वयमेव निरस्त माना जायेगा।

10- mRrh.k gku dk ekun.M & यदि विद्यार्थी सत्रीय अंकों को मिलाकर प्रत्येक सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषय में अलग–अलग न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक और प्रत्येक सेमेस्टर में सभी विषयों को मिलाकर कुल 50 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करता है तो वह बी.फार्म पाठ्यक्रम की प्रत्येक सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित नहीं किया जायेगा। उत्तीर्ण होने के लिए सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक को अलग–अलग विषय माना जायेगा।

11- J.kh inku djuk & सभी आठ सेमेस्टर के कुल प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी। परंतु डिप्लोमा इन फार्मेसी की स्थिति में जहां तीसरे सेमेस्टर में सीधे प्रवेश दिया जाता है (पार्श्विक प्रवेशित छात्र), सभी छः समेस्टर (समेस्टर III से VIII) के कुल प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी।

(ए) यदि अभ्यर्थी सभी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करता है और 50 प्रतिशत से अधिक, किंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करता है, तो उसका स्थानन द्वितीय श्रेणी में होगा।

(बी) यदि अभ्यर्थी सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण करता है और 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसका स्थानन प्रथम श्रेणी में होगा।

(सी) यदि अभ्यर्थी बिना किसी कृपांक के सभी परीक्षाएं प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करता है और 75 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करता है उसका स्थानन प्रथम श्रेणी, विशेष योग्यता सहित में होगा।

(डी) सभी आठ सेमेस्टर में सब मिलाकर गुणानुक्रम में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को स्वर्ण पदक प्रदान किया जायेगा, बशर्ते उसने सभी विषयों की परीक्षा कृपांक के बिना प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण की हो।

12- mikf/k inku djuk – गुरू घासीदास विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन सफलता पूर्वक संपन्न करने पर अभ्यर्थी को बैचलर ऑफ फार्मेसी की उपाधि प्रदान की जायेगी

13- vadk dh deh ij ekQh &

(ए) अभ्यर्थी प्रत्येक सेमेस्टर में केवल 5 अंकों की माफी का पात्र होगा, जिसका विस्तार उसको श्रेष्ठतम लाभ हेतु प्रति सेमेस्टर दो विषयों के लिए होगा। यह सुविधा विषयों में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त होने या वांछित कुल अंकों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए है, परंतु इसका उपयोग श्रेणी में सुधार के लिए नहीं किया जा सकेगा।

(बी) विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार कुलपति अभ्यर्थी को एक अंक कृपांक के रूप में प्रदान कर सकते हैं।

कोई ऐसा विषय जिसका उल्लेख इस अध्यादेश में नहीं है, उस पर विश्वविद्यालय के प्रावधानों के अनुसार विनियम के माध्यम से विचार किया जायेगा।

v/;kns'k Øekd & 20

f}o"khZ; Hkk"kk ds ek/;e ls fMIykek ikB;dze dk fofu;fer djus dk v/;knsZ'k

[केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, धारा 28 (1)(ब)]

Hkk"kk ds ek/;e ls fMIykek ¼Mh- Qkek½ 'k{kf.kd l= 2009&2010 ,oa mlds ckn ls izHkkoh A

पाठ्यक्रम का शीर्षक – भेषजी में डिप्लोमा

संक्षिप्त नाम – डी. फार्म.

पाठ्यक्रम का प्रकार – एक द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम

प्रणाली – वार्षिक

डिप्लोमा को प्रदान करना– जो भी नियम एवं विनियम के अनुसार दोनो वर्षों को पास करेगा उसे डिप्लोमा प्रदान किया जायेगा।

1- ikB;dze dh vof/k&

पाठ्यक्रम दो शैक्षणिक सत्र की अवधि का होगा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की विस्तार की अवधि एक सौ अस्सी कार्य दिवस से कम नहीं होगी। इसके साथ 500 घंटे के प्रायोगिक प्रशिक्षण जिसका विस्तार तीन माह से कम नहीं होगा।

2- iO;'k gsrq ik=rk &

जो अभ्यर्थी निम्नलिखित परीक्षाओं को सभी वैकल्पिक विषयों एवं अनिवार्य विषयों (भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान अथवा और गणित तथा अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय के रूप में) से उत्तीर्ण नहीं करेगा, उसे भेषजी में डिप्लोमा भाग – 1 में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(अ) विज्ञान में इंटरमीडियेट परीक्षा; विज्ञान में त्रिवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष; विज्ञान में 10 + 2 परीक्षा (अकादमिक धारा);

(ब) पूर्व उपाधि परीक्षा; फार्मेसी कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित कोई अन्य योग्यता जो कि उपर्युक्त परीक्षा के समकक्ष हो।

भेषजी में डिप्लोमा भाग –1 में अभ्यर्थियों का प्रवेश विश्वविद्यालय के मानकों के अनुसार योग्यता के गुणानुक्रम में होगा।

3& ijh{kk esa lfEefyr gksus gsrq ik=rk

¼v½ Hkk"kth esa fMIykek Hkkx & I dh ijh{kk esa lfEefyr gksus dh ik=rk : केवल वही अभ्यर्थी जो कि उस अकादमिक संस्थान के प्रमुख, जहां पर उसने भेषजी में डिप्लोमा भाग– I पाठ्यक्रम पूर्ण किया है, से प्रमाण के रूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते है कि उन्होंने पाठ्यक्रम नियमित और संतोषजनक रूप से सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं में पृथक–पृथक से 75 प्रतिशत से कम नहीं उपस्थिति के साथ किया है, भेषजी में डिप्लोमा भाग– I की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे।

¼c½ Hkk"kth esa fMIykek Hkkx & II dh ijh{kk esa lfEefyr gksus dh ik=rk % केवल वही अभ्यर्थी जो कि उस अकादमिक संस्थान के प्रमुख, जहां पर उसने भेषजी में डिप्लोमो भाग– II पाठ्यक्रम पूर्ण किया है, से प्रमाण के रूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते है कि उन्होंने पाठ्यक्रम नियमित और संतोषजनक रूप से सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं में पृथक–पृथक से 75 प्रतिशत से कम नहीं उपस्थिति के साथ किया है, भेषजी में डिप्लोमा भाग– II की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे।

¼4½ lkekU;

¼v½ ikB;Øe %& भेषजी में डिप्लोमा भाग – I एवं भेषजी में डिप्लोमा भाग – II के पाठ्यक्रम में तालिका – I तथा तालिका – II (संलग्नक –1) में वर्णित विषय समाहित होंगे। प्रत्येक विषय के अध्यापन के लिए कालखंडों की संख्या तालिका I एवं II (संलग्न –1) के कालम 2 तथा 3 में दी गई है।

¼c½ ijh{kk,a % पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के छात्रों के मूल्यांकन के लिए भेषजी में डिप्लोमा भाग – I की एक परीक्षा होगी तथा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष के छात्रों के मूल्यांकन के लिए भेषजी में डिप्लोमा भाग – II की एक परीक्षा होगी। भेषजी में डिप्लोमा भाग – I अथवा भेषजी में डिप्लोमा भाग – II, जैसा भी हो, के लिए प्रत्येक वर्ष में परीक्षाएं दो बार आयोजित की जावेगी। प्रत्येक वर्ष की प्रथम परीक्षा वार्षिक परीक्षा होगी तथा द्वितीय परीक्षा पूरक परीक्षा होगी। परीक्षाएं लिखित तथा प्रायोगिक (मौखिकी मिलाकर) प्रकृति की होंगी। प्रत्येक भाग के विषयों के लिए अधिकतम अंकों का उल्लेख तालिका – III तथा तालिका – IV (संलग्नक –2) में है।

¼5½ ik;kfxd izf'k{k.k

Hkk"kth esa fMIykek Hkkx & III

¼,½ ik;kfxd izf'k{k.k dh le;kof/k vkj vU; “krsa &

अभ्यर्थी एक या अधिक निम्नलिखित संस्थानों में प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, यदि वह भेषजी में डिप्लोमा भाग – II की परीक्षा जिसका संचालन किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय अथवा अन्य अनुमोदित परीक्षा निकाय अथवा कोई अन्य पाठ्यक्रम जिसको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने समतुल्य स्वीकार कर लिया हो, में सम्मिलित हुआ हो।

केन्द्र/राज्य सरकार/नगर निगम/केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना द्वारा संचालित अस्पताल, चिकित्सालय/औषधालय/ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक अधिनियम, 1940 (1940 का 23) के अंतर्गत ड्रग्स एंड कास्मेटिक नियम 1945 के अंतर्गत अनुज्ञप्त भैषजज्ञ, रसायनज्ञ तथा औषधज्ञ उप विनिमय 1 में वर्णित संस्थान प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि भैषजिक छात्रों की संख्या जिनको किसी चिकित्सालय, भेषजी, रसायनज्ञ,

औषधज्ञ जो कि ड्रग्स एंड कास्मेटिक अधिनियम, 1940 के अंतर्गत ड्रग्स एंड कास्मेटिक नियम 1945 के अधीन अनुज्ञप्त हो, दो से अधिक नहीं होंगी, जहां पर कार्य में एक भैषजक संलग्न है जिसके अंतर्गत भेषजी छात्र प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। जहां पर एक से अधिक पंजीकृत भैषजज्ञ समान कार्य में संलग्न है वहां प्रत्येक पंजीकृत भैषजज्ञ के लिए एक अतिरिक्त छात्र से अधिक नहीं होगी। उप विनिमय 1 में वर्णित चिकित्सालयों तथा औषधालयों के अतिरिक्त प्रायोगिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से चिकित्सालयों/औषधालयों को इस विनिमय के संलग्न डी में वर्णित शर्तों को पूरा करने पर फार्मेसी कौंसिल ऑफ इंडिया ने मान्यता प्रदान कर दी हो।

प्रायोगिक प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु अभिज्ञ होंगे – भेषजी में व्यवसाय से संबंधित विभिन्न अधिनियमों द्वारा वांछित अभिलेखों के संधारण का कार्यकारी ज्ञान तथा सामान्य उपयोग में लाये जाने वाले भैषजिक उपकरणों के परिचालन का व्यावहारिक अनुभव, चिकित्सीय परामर्श का पठन, अनुवादन, प्रतिलिपन (औषधि की मात्रा की जांच को मिलाकर), के चिकित्सीय परामर्श को बताना, सामान्य व्यक्ति को औषधि लेने के तरीके बताना, चिकित्सकीय पदार्थों एवं औषधियों का भण्डारण/प्रायोगिक प्रशिक्षण 150 घंटे से कम नहीं होगा, जिसका विस्तार तीन माह से कम नहीं होगा। इस शर्त के साथ कि 250 घंटे से कम नहीं, वास्तविक चिकित्सकीय सलाह के निष्पादन के लिए दिए गये हों।

¼ch½ if'k{k.k ikjHk gku ls iwo ikyu dh tkus okyh izfdz;k &

अकादमिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख द्वारा, वर्णित प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पात्र अभ्यर्थियों को ''भैषजज्ञ की योग्यता के लिए प्रायोगिक प्रशिक्षण का अनुबंध पत्र'' के आवेदन की तीन प्रतियां प्रदान की जाएंगी। अनुबंध पत्र इस विनियम के संलग्न –ई में वर्णित जैसा होगा।

अकादमिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमुख इस अनुबंध पत्र के खंड– I की पूर्ति करेगा। अनुबंध पत्र के खंड – II की पूति प्रशिक्षु करेगा। अनुबंध पत्र के खंड – III की पूर्ति उस संस्थान के प्रमुख द्वारा की जायेगी, जो प्रशिक्षण देने के लिए सहमत हुआ है। (इसके बाद प्रशिक्षण मास्टर के रूप में संदर्भित)।

प्रशिक्षु का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि एक प्रति (इसके बाद अनुबंध पत्र की पहली प्रति के रूप में संदर्भित) अकादमिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख तथा अन्य दो प्रतियां (इसके बाद द्वितीय प्रति तथा तृतीय प्रति के रूप में संदर्भित) प्रशिक्षण मास्टर (यदि वह चाहे) अथवा प्रशिक्षु के साथ प्रशिक्षण समापन के बाद जमा करें।

¼lh½ if k{k.k vof/k ds lrk'ktud ijk dus ij Hk'kth e fMIyksek Hkkx **III** ds mRrh.k dus dk izek.k&i= % प्रशिक्षण मास्टर अनुबंध पत्र की द्वितीय एवं तृतीय प्रति के खण्ड चार की पूर्ति करेगा और उसको अकादमिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख को भेजेगा, जो द्वितीय एवं तृतीय प्रति से प्रथम प्रति में उपयुक्त इंद्राज करेगा तथा तीनों प्रतियों के खण्ड V की पूर्ति करेगा तथा इसके बाद दोनों द्वितीय एवं तृतीय प्रति दोनों को प्रशिक्षु को देगा।

इस प्रकार यदि ऐसा सभी मामलों में पूर्ण हो जाता है, तो इसे भेषजी में डिप्लोमा भाग III के सफलतापूर्वक पूर्ण करने का प्रमाण–पत्र माना जाएगा।

6- ifj.kke dk fu/kkj.k

¼,½ ijh{kk i)fr &

तालिका III तथा IV (सलंग्नक–2) में वर्णित प्रत्येक सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक परीक्षा तीन घण्टे की होगी। अभ्यर्थी जो कि सैद्धांतिक अथवा प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है, वह ऐसी सैद्धांतिक अथवा प्रायोगिक प्रश्न–पत्रों में, जैसा भी हो, पुनः सम्मिलित होगा। प्रायोगिक परीक्षा में मौखिकी परीक्षा भी सम्मिलित है।

¼ch½ l=h; vad inku djuk ,oa vfHky[kksa dk l/kkj.k &

भेषजी में डिप्लोमा भाग I तथा भेषजी में डिप्लोमा भाग II पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थान में आयोजित दोनो सैद्धातिक तथा प्रायोगिक कक्षाओं में तथा परीक्षाओं का नियमित अभिलेख संधारण उस संस्थान में प्रत्येक छात्र के लिए किया जाएगा तथा प्रत्येक सैद्धातिक विषय के लिए 20 अंक एवं प्रत्येक प्रायोगिक विषय के लिए 20 अंक l=h; अंक के रूप में आबंटित होंगे है।

प्रत्येक अकादमिक वर्ष के दौरान न्यूनतम तीन आवधिक सत्रीय परीक्षाएं होंगी। सत्रीय अंको की गणना का आधार किन्हीं दो परीक्षाओं में अधिकतम का योग होगा।

प्रायोगिक परीक्षा में सत्रीय अंको के आबंटन का आधार निम्नानुसर होगा।

सत्रीय परीक्षा में वास्तविक प्रदर्शन – 10

प्रायोगिक कक्षाओं में दिन–प्रतिदिन के कार्य का मूल्यांकन – 10

¼lh½ ijh{kk mRrh.k dus ds fy;s U;wure vad

कोई छात्र भेषजी में डिप्लोमा परीक्षा में तब तक उत्तीर्ण घोषित नहीं होगा, जब तक कि, वह प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक सैद्धातिक परीक्षा, सत्रीय अंक मिलाकर, में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त न कर ले तथा प्रायोगिक परीक्षा, सत्रीय अंक मिलाकर, में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त न कर ले। अभ्यर्थी जो कि भेषजी में डिप्लोमा भाग I अथवा

भेषजी में डिप्लोमा भाग II की परीक्षाएं प्रथम प्रयास में सभी विषयों में कुल योग 60% अंक या उससे अधिक प्राप्त करता है। तो वह भेषजी में डिप्लोमा भाग I अथवा भेषजी में डिप्लोमा भाग II (जैसा हो) परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा। अभ्यर्थी जो कि उपरोक्त विषयों में 75 प्रतिशत अंक या उससे अधिक प्राप्त करते है, उन्हें उन विषयों में विशेष योग्यता प्रदान की जायेगी, बशर्ते कि सभी विषयों की परीक्षाएं प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण की गई हो।

¼M½ Hk"kth e fMIykek Hkkx **II** e ikUufr dh ik=rk & भेषजी में डिप्लोमा भाग I के सभी विषयों की परीक्षाओं में सम्मिलित तथा उत्तीर्ण सभी छात्र पात्र होंगे। तथापि दो से अधिक विषयों में (प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र अथवा प्रायोगिक परीक्षा एक विषय के रूप में मानी जायेगी) अनुत्तीर्ण छात्र भेषजी में डिप्लोमा भाग II में समुन्नति के लिए अयोग्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थी आगामी परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण विषयों में पुनः परीक्षा देंगे।

¼b½ l=h; vadk e leUufr & जो छात्र जो सत्रीय अंकों में समुन्नति चाहता है वह अगले अकादमिक वर्ष के दौरान दो अतिरिक्त सत्रीय परीक्षाओं में सम्मिलित होकर कर अंकों में समुन्नति कर सकता है। सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में सत्रीय अंकों के समुन्नयन का आधार दो परीक्षाओं में प्राप्तांकों का औसत होगा। प्रायोगिक में सत्रीय अंको का समुन्नयन अतिरिक्त प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होकर किया जायेगा। छात्र को प्रदत्त प्रायोगिक कक्षाओं में दिन प्रतिदिन के कार्यों के मूल्यांकन के अंकों का समुन्नयन नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि वह पुनः नियमित रूप से पाठ्यक्रम में उपस्थित न हो।

¼,Q½ Hk"kth e fMIykek Hkkx & II dh ijh{kk mRrh.kZ djus dk izek.k i= & परीक्षा लेने वाले निकाय द्वारा सफल छात्र को भेषजी में डिप्लोमा भाग – II में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

¼th½ Hk"kth e fMIykek dk izek.k i= & भेषजी में डिप्लोमा का प्रमाण पत्र सफल छात्रों द्वारा भेषजी में डिप्लोमा भाग – I, भाग –II तथा भाग –III के लिए प्रायोगिक प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण करने के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर परीक्षा निकाय द्वारा भेषजी में डिप्लोमा का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

lyXud &1

rkfydk & I Hk"kth e fMIykek ¼Hkkx& I½

विषय	सैद्धांतिक		प्रायोगिक	
	घंटे / वर्ष	घंटे / सप्ताह	घंटे / वर्ष	घंटे / सप्ताह
फार्मस्यिूटिक्स – I	75	3	100	4
फार्मास्यूटिकल केमेस्ट्री – I	75	3	75	3
फार्माकोग्नोसी	75	3	75	3
बायोकेमेस्ट्री एवं क्लिनिकल पैथालाजी	50	2	75	3
हयूमन एनाटमी एवं फिजियोलाजी	75	3	50	2
हेल्थ एजुकेशन एवं कम्यूनिटी फार्मेसी	50	2		
	400	16	375	15

rkfydk & II Hk"kth e fMIykek ¼Hkkx& II½

विषय	सैद्धांतिक		प्रायोगिक	
	घंटे / वर्ष	घंटे / सप्ताह	घंटे / वर्ष	घंटे / सप्ताह
फार्मस्यिूटिक्स – II	75	3	100	4
फार्मास्यूटिकल केमेस्ट्री – II	100	4	75	3
फार्माकोलाजी एवं टैक्सिकोलाजी	75	3	50	2
फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रडेंस	50	2		
ड्रग स्टोर एवं बिजनेस मैनेजमेंट	75	3		
हास्पिटल एवं क्लिनिकल फार्मेसी	75	3	50	2
	450	18	275	11

lyXud & 2

Hk"kt th e fMIykek gr ijh{kk ;kt uk

(एक अकादमिक सत्र में 180 कार्य दिवस के प्रभावी शिक्षण पर आधारित)

तालिका – III भेषजी में डिप्लोमा (भाग– I) परीक्षा

विषय	सैद्धांतिक में अधिकतम अंक			प्रायोगिक में अधिकतम अंक	
	परीक्षा (मुख्य)	सत्रीय अंक	कुल	परीक्षा	सत्रीय अंक
फार्मस्यिूटिक्स – I	80	20	100	80	20
फार्मास्यूटिकल केमेस्ट्री – I	80	20	100	80	20
फार्माकोग्नोसी	80	20	100	80	20
बायोकेमेस्ट्री एवं क्लिनिकल पैथालाजी	80	20	100	80	20
हयूमन एनाटमी एवं फिजियोलाजी	80	20	100	80	20
हेल्थ एजुकेशन एवं कम्यूनिटी फार्मेसी	80	20	100		
			600		

तालिका – IV भेषजी में डिप्लोमा (भाग– II)

विषय	सैद्धांतिक में अधिकतम अंक			प्रायोगिक में अधिकतम अंक	
	परीक्षा (मुख्य)	सत्रीय अंक	कुल	परीक्षा	सत्रीय अंक
फार्मस्यिूटिक्स – II	80	20	100	80	20
फार्मास्यूटिकल केमेस्ट्री – II	80	20	100	80	20
फार्माकोलाजी एवं टैक्सिकोलाजी	80	20	100	80	20
फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रडेंस	80	20	100		
ड्रग स्टोर एवं बिजनेस मैनेजमेंट	80	20	100		
हास्पिटल एवं क्लिनिकल फार्मेसी	80	20	100	80	20
			600		

ukV %& प्रत्येक प्रश्न–पत्र में कुल छः प्रश्न होंगे जिनमें से पांच के उत्तर देने होगे। कुल प्रश्न–पत्रों में से आधे प्रश्न पत्रों का निर्माण एवं मूल्यांकन बाह्य परीक्षकों एवं शेष प्रश्नपत्रों का निर्माण एवं मूल्यांकन आंतरिक परीक्षकों द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक प्रायोगिक परीक्षा हेतु एक बाह्य एवं एक आंतरिक परीक्षक होंगे।

v/;knsk Øekd & 22

fo'ofo|ky; e fo|kFk;k d ios'k fo'k;d v/;knsk

(परिसर में नियमित पद्धति के लिए)

(अधिनियम धारा 6 (xviii), 28 (1) (अ))

1. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा।
2. विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्यनशालाओं में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि विद्यापरिषद् के द्वारा निर्धारित की जायेगी।

IndiaCode

3. विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययनशालाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि प्रत्येक वर्ष विद्यापरिषद् के द्वारा निर्धारित की जायेगी।

4. कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु अर्हता नहीं रखता, जब तक की उसकी आयु जिस वर्ष में प्रवेश चाहता है, के जुलाई माह के प्रथम दिन से पूर्व 16 वर्ष न हो अथवा यदि उसको उपाधि पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में विद्यापरिषद् के अनुमोदन से प्रवेश दिया जाता है तो उसकी आयु जिस वर्ष में प्रवेश चाहता है के जुलाई माह के प्रथम दिन से पूर्व 17 वर्ष न हो अथवा यदि वह एम.ए., एम.एससी., एम.कॉम, एलएल.बी. अथवा बी.एड पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश चाहता है तो उसकी आयु जिस वर्ष में प्रवेश चाहता है के जुलाई माह के प्रथम दिन से पूर्व 19 वर्ष न हो अथवा एम.फिल, पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहता है तो जिस वर्ष में प्रवेश चाहता है के जुलाई माह के प्रथम दिन से पूर्व उसकी आयु 22 वर्ष न हो गई हो।

5. कोई भी व्यक्ति किसी भी स्नातकोत्तर पाठयक्रम में प्रवेशित नहीं होगा जब तक कि विश्वविद्यालय की अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा उतीर्ण न कर ली हो।

6. अकादमिक सत्र के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छात्रों की संख्या का निर्धारण प्रत्येक वर्ष विद्यापरिषद् द्वारा किया जायेगा।

7. विश्वविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (VET) के आधार पर अथवा समकक्ष निकाय द्वारा निर्धारित किसी अन्य माध्यम से प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र एवं पाठ्यक्रम सामान्यतः 10 + 2 और स्नातक स्तर का ही होगा।

8. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों का निर्धारण विद्यापरिषद् के द्वारा समय–समय पर किया जायेगा।

9. डॉक्टर ऑफ फिलासफी की उपाधि के पाठ्यक्रम में प्रवेश, संबंधित अध्यादेश से शासित होगा।

10. जो छात्र निर्धारित योग्यता रखते हैं, उन पर प्रवेश हेतु विचार, शैक्षणिक योग्यता और/अथवा किसी प्रवेश परीक्षा/मौखिकी में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर किया जायेगा। जैसा प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित होगा।

11. अकादमिक पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कुल स्थान का 15% अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, 7½ प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए और 27% अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रहेगा। परंतु विश्वविद्यालय समय–समय पर विद्यापरिषद् की अनुशंसा पर शारीरिक रूप से विकलांग और अन्य अक्षम वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान भी बना सकेगा। एस.सी/एस.टी. के लिए आरक्षित सभी स्थान जो कि रिक्त रह गये उनको अधिसूचित किया जायेगा तथा उनको योग्यता के गुणानुक्रम में एस.सी./एस.टी. वर्ग के छात्रों जो कि प्रवेश हेतु अन्यथा अर्हता प्राप्त है, से भरा जायेगा। जब तक की सभी अभ्यर्थियों की सूची समाप्त न हो गई हो।

12. कोई भी अभ्यर्थी एक समय में एक से अधिक पाठ्यक्रम में समान्यतः प्रवेशित नहीं होगा।

Vhi & तथापि सांयकालीन स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों को अन्य संस्थानों द्वारा संचालित नियमित पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु अनुमति प्रदान की जा सकती है। विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों को अन्य संस्थानों द्वारा संचालित अंशकालिक सांयकालीन प्रमाण पत्र/पत्रोपाधि पाठ्यक्रम जिनकी प्रकृति व्यावसायिक हो, में अध्ययन करने हेतु अनुमति प्रदान की जा सकती है। इस उद्देश्य हेतु छात्र को संबंधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता से लिखित अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

13. विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् द्वारा पाठ्यक्रम की अधिकतम और न्यूनतम समयावधि निर्धारित की जायेगी।

14. प्रवेशित कोई भी विद्यार्थी यदि चिकित्सकीय रूप से अक्षम पाया जाता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

15. किसी अन्य महाविद्यालय या अन्य भारतीय विश्वविद्यालय का अध्ययनरत वह अभ्यर्थी जो अपने पाठ्यक्रम का अध्ययन पूरा नहीं कर पाया है, या पाठ्यक्रम का अध्ययन पूरा कर लिया है और परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाया हो उसके प्रवेश हेतु विचार किया जा सकता है, यदि स्थान रिक्त हो। इस प्रकार के प्रवेश हेतु प्रवेश प्रक्रिया तत्संबंधी विनियमों में निर्धारित की जायेगी।

16. किसी अध्ययनशाला के पाठ्यक्रम में अभ्यर्थी को तभी प्रवेशित किया जायेगा जबकि उसने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नामांकन शुल्क भुगतान कर दिया हो और उस छात्र का विश्वविद्यालय में नामांकन हो गया हो। तथापि उसको बगैर नामांकन के अस्थायी रूप से किसी अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेशित किया जा सकता है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को विद्यापरिषद् द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर नामांकन कराना होगा।

17. किसी अन्य अध्यादेश में कुछ भी होते हुए भी कोई भी व्यक्ति जिसको नैतिक अधमता संबंधित अपराध में दंड़ित किया गया हो, किसी भी अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेशित नहीं होगा अथवा उसे विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। जब तक कि उसके दण्ड की अवधि समाप्त होने की तिथि से दो वर्ष की समयावधि पूर्ण न हो गई हो।

18. (अ) विश्वविद्यालय का कोई भी विद्यार्थी यदि विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष के स्वविवेक के आधार पर उसी कक्षा के पाठ्यक्रम में पंजीयन हेतु निर्धारित

समयावधि के भीतर पुनः प्रवेशित किया जा सकता है। इसके लिये विद्यार्थी से कोई भी नामांकन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(ब) यदि किसी विद्यार्थी का नाम उसके विभाग के उपस्थिति पंजी से काट दिया जाता है तो उसका पुनः प्रवेश उसको उसी कक्षा में तथा उसी अकादमिक सत्र में विभागाध्यक्ष के विवेकाधीन पुनः प्रवेशित किया जा सकेगा अथवा आगामी वर्षों में यदि पुनः प्रवेश चाहा गया है तो पंजीयन की समयावधि के भीतर विभागाध्यक्ष के विवेकाधीन पुनः प्रवेशित किया जायेगा। इसके लिये विद्यार्थी से कोई भी नामांकन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

19. यदि किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी ने प्रवेश प्राप्त करने हेतु मिथ्या अथवा गलत कथन अथवा अन्य कपटपूर्ण माध्यमों का उपयोग किया है, तो उसका नाम विश्वविद्यालय की उपस्थिति पंजी में से हटा लिया जायेगा।

v/;kn'k Øekd & 23

fo'ofo|ky; d fo|kfFk;k }kjk n; 'kYd fo"k;d v/;kn'k

[केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 —धारा 28 (1)(ई)]

1. विश्वविद्यालय की कार्य परिषद समय—समय पर विद्या परिषद की अनुशंसाओं पर विद्यार्थियों द्वारा देय शुल्क का निर्धारण करेगी।

2. अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे।

3- n; frfFk rFkk Hkqxrku dk :Ik &

(i) विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर निर्धारित शुल्क विद्यार्थियों द्वारा जमा किया जायेगा।

(ii) शुल्क का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि या उसके पूर्व ही किया जायेगा।

4- 'kYd Hkqxrku e foyc vFkok ckdhnkjh %

1. किसी विद्यार्थी द्वारा समय पर शुल्क जमा न करने की स्थिति में निम्नानुसार विलंब शुल्क लिया जायेगा —

(i) अंतिम तिथि के पश्चात प्रथम दस दिन के भीतर — शुल्क का 15 प्रतिशत

(ii) आगामी 10 दिन के भीतर शुल्क जमा करने पर — शुल्क का 25 प्रतिशत

(iii) उसके पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा धोषित विलंब शुल्क के साथ शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक — शुल्क का 50 प्रतिशत देय।

2. यदि किसी विद्यार्थी द्वारा पर्याप्त करणों का उल्लेख करते हुए विलंब से शुल्क जमा करने हेतु लिखित आवेदन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता की अनुशंसा पर, विशेष प्रकरण में, कुलपति या उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी अपनी ओर से शुल्क जमा करने की किसी भी शर्त में शिथिलता प्रदान कर सकता है। ऐसे आवेदन निर्धारित अंतिम तिथि से पर्याप्त समय पूर्व किये जाने चाहिए, जिससे कि निर्णय लिया जा सके।

3. शुल्क जमा न करने वाले विद्यार्थियों की सूची सूचना पटल पर चस्पा कर दी जायेगी। उनके नाम विश्वविद्यालय की उपस्थिति पंजी से हटा दिये जाएंगे।

4. ऐसा विद्यार्थी जिसका नाम विश्वविद्यालय उपस्थिति पंजी से हटाया जा चुका है, संबंधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता की अनुशंसा से, पूर्व में बकाया समस्त शुल्क के पूर्ण भुगतान तथा अन्य देय को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पुनः प्रवेश शुल्क के साथ जमा कर देने पर फिर से प्रवेश ले सकता है। तथापि ऐसे पुनः प्रवेश विद्यार्थी द्वारा न्यूनतम उपस्थिति की शर्त पूरा कर सकने की स्थिति में उसी सेमेस्टर एवं विषय में होंगे।

5- nf"V ckf/kr Nk=k d fy ; NV %&

दृष्टि बाधित छात्रों को सभी शिक्षण शुल्क जमा करने से छूट रहेगी ।

6- 'kYd e NV %

(1) अध्ययनशाला के अधिष्ठाता निम्नानुसार गठित समिति की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशतता तक शुल्क मुक्ति प्रदान कर सकेंगे—

(i) अधिष्ठाता — अध्यक्ष

(ii) कुलपति द्वारा नामित तीन विभागों के अध्यक्ष

(iii) कुलपति द्वारा नामित विभाग के तीन छात्र

IndiaCode

(2) यदि शुल्क मुक्ति के लिए आवेदकों की संख्या उपलब्ध शुल्क मुक्ति की संख्या से अधिक हो तो उपर्युक्त उपकंडिका (i) में वर्णित समिति कुछ आवेदकों को अर्द्धशुल्क मुक्ति की अनुशंसा कर सकती है। इस प्रकार की सभी शुल्क मुक्ति निर्धारित प्रतिशतता से अधिक नहीं होगी।

(3) शुल्क में छूट संबंधी आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर विभागाध्यक्ष के माध्यम से दिनांक 31 अगस्त अथवा अधिष्ठाता द्वारा घोषित किसी अन्य तिथि तक संबंधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता के पास जमा किया जायेगा। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर सामान्यतः विचार नहीं किया जायेगा।

(4) विद्यार्थी के शुल्क में मुक्ति प्रदान करने संबंधी आवेदन पर अनुशंसा करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जायेगा –

(i) विद्यार्थी का शैक्षणिक रिकार्ड;

(ii) शुल्क–मुक्ति के नवीनीकरण की स्थिति में विद्यार्थी की शैक्षिक प्रगति;

(iii) विद्यार्थी की आर्थिक स्थिति; एवं

(iv) अन्य कारण जिसको भी अंकित किया जायेगा।

ऐसे छात्र जिन्हें शुल्क मुक्ति की सुविधा प्रदान की गई हो, सामान्यतः उनकी सूची 30 सितंबर तक अधिसूचित होगी।

5. किसी सत्र के दौरान की गयी शुल्क मुक्ति स्वयमेव आगामी वर्ष में नवीनीकृत नहीं होगी। विद्यार्थी जिनको इस सुविधा की आवश्यकता है उन्हें प्रत्येक वर्ष पुनः आवेदन करना होगा, जिस पर विचार उस सत्र में प्राप्त नवीन आवेदनों के साथ होगा।

6. शुल्क मुक्ति प्राप्त विद्यार्थी का आचरण या शैक्षिक प्रगति असंतोषजनक पाये जाने या उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार पाये जाने पर एवं भविष्य में शुल्क मुक्ति की आवश्यकता न पाये जाने की स्थिति में उस विद्यार्थी की शुल्क मुक्ति निरस्त की जा सकती है।

7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /विस्थापित कश्मीरी एवं अन्य वर्ग को शुल्क संबंधी छूट के लिए भारत सरकार दिशा निर्देश लागू होंगे।

7- 'kYd okilh] lqj{kk fuf/k vkfn %&

1. किसी भी विद्यार्थी की सुरक्षा निधि, विद्यार्थी द्वारा समस्त बकाया, अर्थदण्ड एवं अन्य देन दारियां चुकता करने पर तथा विश्वविद्यालय छोड़े जाते समय आवेदन करने पर उसे वापस कर दी जायेगी।

2. यदि किसी विद्यार्थी द्वारा विश्वविद्यालय छोड़ने के एक वर्ष के भीतर सुरक्षा निधि की वापसी हेतु आवेदन नहीं किया गया तो विद्यार्थी की सुरक्षा निधि को ''विद्यार्थी सहायता कोष'' में दान दिया गया मान लिया जायेगा।

¼Li"Vhdj.k & किसी भी विद्यार्थी के लिए एक वर्ष की गणना विद्यार्थी द्वारा दी गई अंतिम परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि अथवा उपस्थिति पंजी में से उसका नाम हटाये जाने की तिथि से की जायेगी।

3. यदि कोई विद्यार्थी फीस जमा करने के बाद प्रवेश निरस्त कराना चाहता है तो उसे एक महीने का शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की कटौती कर अन्य समस्त जमा राशि वापस कर दी जायेगी बशर्ते उसके द्वारा संबंधित अकादमिक सत्र के आरंभ होने के 5 स्पष्ट दिवस पूर्व या प्रवेश समाप्त होने के 5 स्पष्ट दिवस के भीतर अध्ययनशाला अधिष्ठाता को फीस वापसी हेतु आवेदन प्राप्त हो गया हो। विनियामक निकायों यथा एआईसीटीई/एन.सी.टी.ई से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त छात्रों की फीस वापसी उन निकायों के समय समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार की जायेगी ।

4. शुल्क जमा करने के उपरांत भी विश्वविद्यालय में अध्ययन प्रारंभ न करने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा शुल्क वापसी का आवेदन किये जाने पर उसे मात्र क्रीड़ा शुल्क एवं सुरक्षा निधि ही वापस की जायेगी, बशर्ते संबंधित अकादमिक सत्र आरंभ होने के 15 दिवस के भीतर संबंधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता को आवेदन प्राप्त हो गया हो।

5. संबंधित अकादमिक सत्र के आरंभ होने के 15 दिन के बाद आवेदन करने पर विद्यार्थी मात्र सुरक्षा निधि प्राप्त करने का ही पात्र होगा।

6. यदि किसी विद्यार्थी पर विश्वविद्यालय का बकाया, यथा विश्वविद्यालय की संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने की राशि, साथ ही शेष शिक्षण शुल्क एवं किसी भी प्रकार का अर्थदण्ड, होने पर उसकी सुरक्षा निधि से इसकी कटौती की जायेगी।

8 - fo'ofo|ky; dh fofHkUu ijh{kkvksa gsrq 'kYd fuEukuqlkj gksxk &

Lनातक/स्नातकोत्तर – विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित

9- किसी भी विद्यार्थी द्वारा उसकी देनदारियां चुकता न करने पर एवं परीक्षा शुल्क न देने

की स्थिति में उसे प्रवेश पत्र नहीं दिया जायेगा या परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।

10- ijh{kk ifj.kke d iqueZ;kdu dk 'kYd %

परीक्षा परिणाम के पुनर्मूल्यांकन हेतु शुल्क, सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के समय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा। बशर्ते कि यदि विश्वविद्यालय द्वारा जारी परीक्षा के परिणाम में पुनर्मूल्यांकन के दौरान कोई त्रुटि या कमी पायी जाती है तो विद्यार्थी को परीक्षा परिणाम के पुनर्मूल्यांकन का शुल्क वापस कर दिया जायेगा।

11- vad lphi ink; 'kYd &

(1) प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा परीक्षा शुल्क के साथ–साथ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक परीक्षा हेतु अंक सूची शुल्क भी देय होगा।

(2) विद्यार्थियों को उनकी अंक सूची संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

(3) अंकसूची की द्वितीय प्रतिलिपि विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक अंकसूची के लिए निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही प्रदान की जायेगी।

12- LFkkukarj.k izek.k i=] vLFkk;h mikf/k izek.k i= ,oa vU; izek.k i= inku djus gsrq 'kYd %&

(1) स्थानांतरण प्रमाण पत्र/अस्थायी उपाधि प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र व इनकी द्वितीय प्रतिलिपि प्रदाय करने हेतु निम्नानुसार शुल्क होगा :–

(a)	स्थानांतरण प्रमाण पत्र	विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित
	स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति	
(b)	विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने का अस्थायी उपाधि प्रमाण पत्र	
	उपर्युक्त का द्वितीय प्रतिलिपि	
(c)	उपाधि प्रमाण पत्र (वैयक्तिक)	
	उपाधि प्रमाण पत्र(डाक द्वारा)	
	उपाधि प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि (एफ आई आर प्रस्तुत किये जाने पर)	
(d)	प्रामाणिक छात्र होने का प्रमाण पत्र	
(e)	अन्य प्रमाण पत्र	
(f)	अन्य प्रमाण पत्रों की द्वितीय प्रतिलिपि	

IndiaCode

2. छात्र या अभ्यर्थी, जो विश्वविद्यालय पंजी में मूल रूप सें अंकित अपने नाम में कुछ जुड़वाना चाहते है या किसी तरह का परिवर्तन चाहते हैं तो उनके द्वारा इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा। उनके मूल नाम में यह योग या परिवर्तन विद्यार्थी द्वारा आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद विश्वविद्यालय नामांकन पंजी में उपनाम के रूप में अंकित किया जायेगा।

3. किसी विद्यार्थी द्वारा विश्वविद्यालय पंजी में दर्ज जन्म तिथि में परिवर्तन का आवेदन करने पर उसे इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना जन्म तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

v/;kns'k Øekd &27

v/;;u'kkykvksa d vf/k"Bkrkvksa d dk;ksZ dk v/;knsZ'k

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 – परिनियम 5 (3)]

अध्ययनशाला का अधिष्ठाता, अध्ययनशाला का प्रधान होगा और वह अध्ययनशाला में शिक्षण तथा शोध, के संचालन तथा मानकों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। वह बोर्ड ऑफ स्कूल का अध्यक्ष एवं संयोजक होगा।

1. अधिष्ठाता की शक्तियां एवं कार्य निम्नलिखित होंगी:–

(अ) अध्ययनशाला में शिक्षण एवं शोध कार्य का संचालन एवं अनुरक्षण;

(ब) अन्तरानुशासनिक शिक्षण एवं शोध के उन्नयन हेतु कदम उठाना, जहां कहीं भी आवश्यक हो;

(स) सत्रीय कार्यो के मूल्यांकन और व्याख्यानों, ट्यूटोरियल्स, संगोष्ठियों अथवा प्रायोगिक कार्यो में विद्यार्थियों की उपस्थिति के अभिलेख को संधारित करना, जहां इनको निर्धारित किया गया हो;

(द) अध्ययनशालाओं और विद्या परिषद द्वारा यथा निर्देशानुसार अध्ययनशालाओं के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं की व्यवस्था करना;

(ई) अध्ययनशाला के निर्णयों एवं अनुशंसाओं को प्रभाव देने हेतु कदम उठाना; तथा

(फ) विद्या परिषद, कार्य परिषद अथवा कुलपति द्वारा यथा प्रदत्त अन्य कर्तव्यों का निष्पादन करना।

v/;kn'k Øekd &28

foHkkxksa dh v/;{kksa dh dr0;ksa dk v/;kn'k

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 – धारा 28(1)(0)]

विभाग का अध्यक्ष विभाग की बैठकों का संयोजन एवं उसकी अध्यक्षता करेगा तथा अधिष्ठाता के व्यापक पर्यवेक्षण में रहेगा।

(अ) विभाग में शिक्षण एवं शोध–कार्य की व्यवस्था करेगा;

(ब) संबंधित नियामक निकाय के मानकों के अनुसार शिक्षण कार्य भार के आबंटन के अनुरूप समय सारणी तैयार करेगा;

(स) कक्षाओं एवं प्रयोगशालाओं में शिक्षकों के माध्यम से अनुशासन को बनाये रखेगा;

(द) विभाग के सुचारू संचालन के लिए जैसा आवश्यक हो, विभाग के शिक्षकों को कर्तव्य प्रदान करेगा तथा कार्यों को प्रदान करेगा;

(ई) अधिष्ठाता, संबंधित बोर्ड ऑफ स्कूल, विद्या परिषद, कार्य परिषद् और कुलपति द्वारा प्रदत्त अन्य कार्यों का निष्पादन करेगा;

(फ) विभागीय समिति की अनुशंसा पर विभाग के शैक्षणिक संचालन की व्यापक व्यवस्था के लिए जैसा उचित हो योजना आरंभ करना एवं अन्य शैक्षणिक प्रस्ताव देगा; तथा

(ज) विभाग में गैर–शैक्षणिक/तकनीकी कर्मचारियों पर भी नियंत्रण रखना एवं विभागीय कार्यों का विनियमन करेगा।

v/;kn'k Øekd &29

ijh{kdksa vkj vu'kk/kdksa dh fu;fDr fo"k;d v/;kn'k

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम्, 2009 – धारा 28 (1) (g) परिनियम 12(2) (xiv)]

1. सभी परीक्षाओं के लिए, पीएच. डी. की उपाधि को छोड़कर, परीक्षकों एवं अनुशोधकों की सूची अध्ययन मण्डल द्वारा तैयार की जाएगी और उसे संबंधित अध्ययनशाला/अध्ययन मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अध्ययनशाला/अध्ययन मण्डल द्वारा सूची का संवीक्षण किया जायेगा और उसे कार्य परिषद् के पास विद्या परिषद के परामर्श के साथ अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। अध्ययनशाला मण्डल, यू.जी.सी./ए आई यू या अन्य किसी भी प्रामाणिक स्त्रोत से उपलब्ध विशेषज्ञों की सूची से परीक्षकों के नाम जोड़ सकता है।

2. पीएच.डी. उपाधि के लिए परीक्षकों की नियुक्ति, संबंधित अध्ययनशाला के अध्ययनशाला मण्डल की अनुशंसा पर विद्या परिषद के परामर्श के साथ, कार्य परिषद् द्वारा की जायेगी।

3. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के प्रत्येक विषय में परीक्षाओं के प्रश्न–पत्रों का अनुशोधन निम्नानुसार एक समिति द्वारा किया जायेगा :–

 (अ) संबंधित विभाग के अध्यक्ष, और

 (ब) कुलपति द्वारा नियुक्त एक से कम नहीं और दो से अधिक नहीं, ऐसे व्यक्ति जिनकी इस हेतु विषय में विशेषज्ञता हो।

4. प्रश्न–पत्रों का अनुशोधन समय–समय पर अधिसूचित विनियमों के अनुसार किया जायेगा।

5. यदि प्रश्न–पत्र के आधे से अधिक का अनुशोधकों की समिति द्वारा परिवर्तन किया जाता है, तो समिति के संयोजक की अनुशंसा पर कुलपति प्राश्निक के विरूद्ध जैसा उचित समझे, उपयुक्त कार्यवाही प्रारंभ कर सकते है, तथापि, अनुशोधन समिति 50 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों के बदलने का कारण प्रस्तुत करेगी।

v/;knsk Øekd & 30

v/;;rkofRr] 'kk/kofRr] Nk=ofRr] Lo.kind rFkk ijLdkj inku djus lac/kh LFkk;h fuf/k dh Lohdfr dk 'kkfl
djus okyh 'krksa fo"k;d v/;knsk

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 – धारा 28 (1) (f))

1. विश्वविद्यालय स्वर्णपदक/पुरस्कार/अध्येतावृत्ति/शोधवृत्ति/छात्रवृत्ति, के स्थापन के लिए स्थायी निधि स्वीकार कर सकेगा, जो कि विश्वविद्यालय के संबंधित पाठ्यक्रम/प्रश्न पत्र के सभी छात्रों को प्रदान न किया जाता हो और जाति, पंथ, समुदाय, धर्म तथा क्षेत्र के भेदभाव के बिना दिया जाता हो।
2. विश्वविद्यालय ऐसी कोई भी स्थायी निधि स्वीकार नहीं करेगा, जिसकी राशि पुरस्कार एवं शोध छात्रवृत्ति के लिए रूपये 10,00,000/–, स्वर्णपदक के लिए रूपये 10,00,000/–, स्थायी निधि व्याख्यान के लिए रूपये 10,00,000/– तथा चेयर के निर्माण के लिए रूपये 20,00,000/– से कम हो।
3. कोई भी स्थायी निधि कार्य परिषद द्वारा स्वीकार किये बिना स्थापित नहीं की जायेगी।
4. जहां स्वर्णपदक के निर्माण के लिए स्थायी निधि राशि पर प्राप्त ब्याज राशि पर्याप्त नहीं हो तो, विश्वविद्यालय के पास विवेकाधिकार होगा कि स्वर्णपदक के स्थान पर पुरस्कार प्रदान करे। तथापि, इस तरीके के नगद पुरस्कार प्रदान करने से पहले विश्वविद्यालय दानदाता, जहां यह संभव हो, से निवेदन करेगा कि क्या वे अतिरिक्त राशि दान देने के लिए सहमत हैं, जिससे कि विश्वविद्यालय उस राशि में, जिसके लिए स्वर्णपदक स्थापित किया गया है, को संपूरित कर सके।

वसीयत, दान तथा स्थायी निधि के सभी प्रस्तावों, जिनका प्रबंधन विश्वविद्यालय में निहित हो, को इस शर्त के साथ स्वीकार किया जा सकता है, कि, उससे प्राप्त वार्षिक आय में से 5 प्रतिशत की कटौती की जायेगी, जिसको प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में स्थायी निधि राशि में जोड़ दिया जायेगा।

v/;knsk Øekd & 31

mikf/k inku djus ;k vU; i;kstuk dh fy, fo'ofo|ky; dh nh{kkar lekjkg fo'k;d v/;knsk

(अधिनियम, धारा 28 (1) (0), परिनियम 29)

1. उपाधि प्रदान करने हेतु दीक्षांत समारोह प्रतिवर्ष बिलासपुर में कुलाधिपति द्वारा निश्चित तिथि पर आयोजित होगा।

 परन्तु, यदि किसी वर्ष दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं हो, तो कुलपति उस वर्ष के उत्तीर्ण छात्रों को संबंधित उपाधि अनुपस्थिति में प्रदान करने के लिए सक्षम रूप से अधिकृत होंगे तथा निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद उपाधि प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के लिए कुलसचिव को अधिकृत करेंगे।
2. कुलपति की अनुशंसा पर उपाधि प्रदान करने के लिए विशेष दीक्षांत समारोह कुलाधिपति द्वारा निश्चित तिथि पर आयोजित किया जा सकेगा।
3. वार्षिक दीक्षांत समारोह मे कुलपति विश्वविद्यालय में वर्ष भर के कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगें।
4. दीक्षांत समारोह में पालन की जाने वाली प्रक्रिया विनियम द्वारा निर्धारित की जायेगी।

प्रोफेसर बी. एन. तिवारी, कुल सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./501/16]

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA

(A Central University established by the Central University Act, 2009, No. 25 of 2009)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 29th March, 2017

No. 1072 /Academic/2017.—In exercise of the powers vested under Section 28 (2) of the Central Universities Act 2009, the Vice-Chancellor had made the following first Ordinances and are hereby notified, after approval of the competent authority:—

Ordinance No. 02

ORDINANCE OF THE CONSTITUTION OF THE BOARD OF STUDIES AND THE TERM OF OFFICE OF ITS MEMBERS

[Central University Act. 2009 – Section 23, Statute 16(2)]

1. Each Board of Studies shall be constituted for a period of three years.
2. The Board of Studies shall consist of the following members namely:

i. All the Professors of the Department shall be ex-officio members.

ii. a) The Head of the Department concerned shall be the Chairman of such Board of Studies.

b) In case Head of the Department is not present the senior-most member shall officiate as the Chairman in the meeting.

iii. A senior most Associate Professor and a Senior most Assistant Professor by rotation shall be a member of Board of Studies nominated by the Vice-Chancellor.

iv. One external expert member of the subject not connected with the University shall be nominated by the Vice-Chancellor.

v. A Teacher of a the University Department shall cease to be a member if he ceases to be a teacher of the concerned Department.

vi. Any such vacancy may be filled for the remaining period.

3. All Board of Studies shall ordinarily meet at least once a year and on such occasions as may be determined by the Vice-Chancellor.

4. The quorum for the Board of Studies Meetings shall be 50% of the members.

5. All matters before the Board of Studies for the consideration shall be decided by the majority of members present. In caseof equal vote on any issue, the Chairman shall have a casting vote.

6. If in the opinion of the Vice-Chancellor, it is not necessary or expedient to convene a meeting of the Board of Studies toconsider any item and if he considers that a matter could be disposed off by circulation among the members of Board ofStudies he may issue necessary instructions to that effect.

Ordinance No. 14

Ordinance for Governing the award for the Degree of Bachelor of Pharmacy (B. Pharm.) Degree Course

[Central Universities Act, 2009- Section 28(1)(b)]

This Ordinance shall be applicable from the academic session 2009-10.

1. **Title of the course:** Bachelor of Pharmacy (B.Pharm)

2. **Faculty:** Faculty of Natural Resources

3. **Duration of course:** Four years / 8 semesters. Each semester shall consist of minimum15 weeks excluding the days spent in the examinations.

4. **Seats**: Total number of seats shall be determined as per the norms of PCI/University rules from time to time.

5. **Fees:** As decided by the University from time to time.

6. **Course Structure:** The course structure shall be approved/modified by the Board of Studies of the University.

7. **Eligibility for Admission:**

(a) A candidate for admission to the Degree of Bachelor of Pharmacy Semester-I must have passed the 10+2 examinations conducted by recognized Board of Higher Secondary Education with minimum 50% marks in Physics + Chemistry + Mathematics or Biology;

(b) A candidate who have obtained Diploma in Pharmacy from any PCI recognized Institutions with a minimum of 60% marks in aggregate will be eligible for direct admission at the entry level of B.Pharm Semester-III as per the norms of Pharmacy Council of India / University;

(c) The admission procedure shall be determined by the University from time to time.

8. **Medium of Instructions:** The medium of instruction shall be English.

9. **Scheme of Examination:**

(a). The scheme of examination shall be determined as per the norms of PCI / University;

(b). No candidate shall be allowed to appear in any of the semester examination unless he/she has attended 75% of the classes held in each theory and practical separately in that semester;

(c). **Sessionals:** The sessional marks of 20% in each theory paper and practical shall be allotted as follows -

(i) **Theory:** Two sessional examinations shall be held in each semester for each theory paper from which one best answered by the candidate shall be considered for award of sessional marks.

(ii) **Practicals:** Marks shall be awarded on the basis of day to day attendance, viva-voce, practical record etc. There shall be no provision of Improvement of sessional marks in theory and practical in any subject.

(d). **Examinations:**

At the end of each semester, there shall be one University examination for theory and practical, as per the scheme of examination determined by the University from time to time.

(i) Candidates who have appeared in all subjects and passed the examinations shall be eligible for promotion to subsequent semester. In addition, a candidate shall not be admitted to fifth semester class unless he/she has passed the first and second semester examinations. Likewise candidates shall not be admitted to seventh semester unless he/she has passed in the first four semester examinations.

(ii) Only three consecutive attempts will be provided to pass any subject. Further, if the candidate does not pass the subject in four attempts (including first attempt), then the candidate shall not be allowed to continue the course.

(iii) Candidates who fails to secure 50% marks in aggregate, but has secured 40% marks in all the subjects shall be eligible to appear in two theories and one practical of his/her choice in subsequent examinations. Not more than two additional attempts shall be given for this purpose failing which the candidate shall have to appear in all subjects in subsequent examinations of the same semesters as a fresh student when new academic session begins and his/her admission to higher class shall automatically be treated as cancelled.

10. **Criteria of passing:** A student shall not be declared to have passed in eachsemester examination of B. Pharm. course unless he/she secures at least 40%marks in each of the theory and practical subject separately including sessionalmarks, and 50% marks in aggregate in all the subjects in each semester. Eachtheory paper and practical will be treated as separate subject for passing.

11. **Award of Division:** The division shall be awarded on the basis of aggregate marks obtained in all the eight semesters, but in the case of Diploma in Pharmacy students admitted direct to third Semester (the lateral entry candidates), the division shall be awarded on the basis of aggregate marks obtained in all the six semesters (Semester III to VIII).

(a) If a candidate passes all examinations and secures 50% or more marks but less than 60%, shall be placed in **second division**.

(b) If a candidate passes all examinations and secures 60% or more marks, shall be placed in **first division**.

(c) If a candidate passes all examinations in first attempt without grace and secures 75% or more marks, shall be placed in first division, with **distinction**.

(d) The **Gold Medal** will be awarded to the candidates who got maximum aggregate marks in order of merit of all the eight semesters provided he/she passed in all the subjects in a single attempt without grace.

12. **Award of Degree:** The Degree of Bachelor of Pharmacy will be conferred on the candidates who have successfully completed the course of study as prescribed by the Guru Ghasidas Vishwavidyalaya.

13. **Condonation of Deficiency in Marks:**

(a) A candidate will be entitled for condonation of five marks only to the best advantage of candidate spread over any two subjects per semester. This facility is available for the candidates having obtained below 40% marksin subjects or for making of the required aggregate but can not be utilized for improving the division of candidate.

(b) The Vice-Chancellor may award one grace mark to the candidate as per University rules. Any matter not covered under the Ordinance shall be dealt with as per the provisions of the University through the regulations.

Ordinance No. 20

Ordinance for Governing the Two-Year Diploma in Pharmacy Programme

[The Central Universities Act, 2009, section 28(I)(b)]

Diploma in Pharmacy (D. Pharm.) effective from academic year 2009-2010 and onwards.

Course Title: Diploma in Pharmacy

Abbreviation: D. Pharm.

Type of Course: A Two years Diploma course

Pattern: Yearly

Award of the Diploma: Diploma will be awarded for those passing in both the years asper rules and regulations.

IndiaCode

1. **DURATION OF THE COURSE**:

The duration of the course shall be for two academic years, with each academic year spread over a period of not less than one hundred and eighty working days in addition to 500 hours practical training spread over a period of not less than 3 months.

2. **ELIGIBILITY FOR ADMISSION**:

No Candidate shall be admitted to Diploma in Pharmacy Pt. I unless he/she had passed any of the following examinations in all the optional subjects and compulsory subjects (Physics, Chemistry, Biology and /or Mathematics including English as one of the Compulsory subjects):

a) Intermediate examination in Science; The First Year of the three year degree course in Science; 10+2 Examination (Academic stream) in Science;

b) Pre-degree examination; any other qualification approved by the Pharmacy Council of India as equivalent to any of the above exam.

Admission of candidates to the Diploma in Pharmacy Part - I shall be made in order of merit as per norms of university.

3. **ELIGIBILITY FOR APPEARING IN EXAMINATION**

(a) Eligibility for appearing at the Diploma in Pharmacy Part-I Examination: Only such candidates who produce-certificate from the Head of the Academic Institution in which he/she has undergone the Diploma in Pharmacy Part-I course, in proof of his/her having regularly and satisfactorily undergone the course of study by attending not less than 75% of the classes held both in theory and in practical separately in each, shall be eligible for appearing at the Diploma in Pharmacy (Part-I) examination.

(b) Eligibility for appearing at the Diploma in Pharmacy Part-II Examination: Only such candidates who produce certificate from the Head of the academic institution in which he/she has undergone the Diploma in Pharmacy Part-II course, in proof of his/her having regularly and satisfactorily attending not less than 75% of the classes held both in theory and practicals separately in each subject, shall be eligible for appearing at the Diploma in Pharmacy (Part-II) examination.

4. GENERAL

(a) **Course of Study**: The course of study for Diploma in Pharmacy part-I and Diploma in pharmacy part-II shall include the subjects as given in the Tables I & II (Annexure- 1). The number of hours devoted to each subject for its teaching is given against columns 2 and 3 of the Tables I & II (Annexure-1).

(b) Examinations: There shall be an examination for Diploma in Pharmacy (part-I) to examine students of the first year course and an examination for Diploma in Pharmacy (part-II) to examine students of the second year course. Each examination may be held twice every year. The first examination in every year shall be the annual examination and the second examination shall be supplementary examination of the Diploma in Pharmacy (part-I) or Diploma in pharmacy (Part-II) as the case may be.The examinations shall be of written and practical (including oral) nature. Carrying maximum marks for each part of subject, as indicated in Table III and IV (Annexure- 2).

5. PRACTICAL TRAINING

Diploma in Pharmacy (Part-III)

(a) Period and other conditions of practical training:

After having appeared in Part-II examination of Diploma in Pharmacy conducted by Board/University or other approved examination Body or any other course accepted as being equivalent by the Pharmacy Council of India, a candidate shall be eligible to undergo practical training in one or more of the following institutions namely: Hospitals/Dispensaries run by Central/State Government/Municipal corporations/ central Government Health scheme and Employees state Insurance scheme. A pharmacy, chemist and Druggist licensed under the Drugs and cosmetics Rules, 1945 made under the Drugs and Cosmetics Act,1940(23 of 1940). The institutions referred in sub-regulation(1)shall be eligible to impart training subject to the condition that the number of student pharmacists that may be taken in any Hospital, pharmacy, Chemist and Druggist licensed under the Drugs and cosmetics Rules,1945 made under the Drugs and cosmetics Act,1940 shall not exceed two where there is one registered pharmacist engaged in the work in which the student pharmacist is under going practical training, where there is more than one registered pharmacist similarly engaged, the number shall not exceed one for each additional such registered pharmacist. Hospital and Dispensary other than those specified in sub-regulation(1) for the purpose of giving practical training shall have to be recognized by pharmacy council of India on fulfilling the conditions specified in Appendix-D to these regulations.

In the course of practical training, the trainees shall have exposure to: Working knowledge of keeping of records required by various acts concerning the profession of pharmacy and Practical experience in the manipulation of pharmaceutical apparatus in common use, the reading, translation and copying of prescription including checking of dose, the dispensing of prescriptions illustrating the commoner methods of administering medicaments; the storage of drugs and medical preparations. The practical training shall be not less than five hundred hours spread over a period of not less than three months provided that not less than two hundred and fifty hours and devoted to actual dispensing of prescriptions.

(b) **Procedure to be followed prior to commencing of the training**:

The head of the academic training institution, shall supply application in triplicate in' Practical Training Contract Form for Qualification as pharmacist' to candidate eligible to under-take the said practical training, the contract form shall be as specified in Appendix-E to these regulations.

The head of an academic training institution shall fill section I of the contract Form. The trainee shall fill section II of the said contract Form and the Head of the institution agreeing to impart the training (hereinafter referred to as the Apprentice Master) shall fill section III of the said contract Form.

It shall be the responsibility of the trainee to ensure that one copy (hereinafter referred to as the first copy of the contract Form)so filled is submitted to Head of the academic training institution and the other two copies(hereinafter referred to as the second copy and the third copy)shall be filled with Apprentice Master(if he so desires)or with the trainee pending completion of the training.

(c) Certificate of Passing Diploma in Pharmacy(part-III) on satisfactory completion of the apprentice period, the Apprentice Master shall fill Section IV of the second copy and third copy of contract form and cause it to

be sent to the head to the academic training institution who shall suitably enter in the first copy of the entries from the second copy and third copy and shall fill section V of the three copies of contract form and thereafter handover both the second copy and the third copy to the trainee. Thus, if completed in all respect, shall be regarded as a certificate of having successfully completed the course of Diploma in Pharmacy (part-III).

6. Working out of Result

(a) Mode of examinations: Each theory and practical examination in the subject mentioned in Table-III and IV (Annexure-2) shall be of three hours duration. A candidate who fails in theory or practical examination shall reappear in such theory or practical paper(s) as the case may be. Practical examination shall also consist of viva voce (oral) examination.

(b) Award of sessional marks and maintenance of records: A regular record of both theory and practical class work and examinations conducted in an institution imparting training for Diploma in Pharmacy Part-I and Diploma in pharmacy Part-II courses, shall be maintained for each student in the institution and 20 marks for each theory and 20 marks for each practical subject shall be allotted as sessional.

There shall be at least three periodic sessional examinations during each academic year. The highest aggregate of any two performances shall form the basis of calculating sessional marks.

The sessional marks in practicals shall be allotted on the following basis:

Actual performance in the sessional examination. 10

Day to day assessment in the practical class work. 10

(c) Minimum marks for passing the examination: A student shall not be declared to have passed Diploma in Pharmacy examination unless he/she secures atleast 40% marks in each of the subject separately in theory examination, including sessional marks and atleast 40% marks in each of the practical examination including sessional marks. The candidates securing 60% marks or above in aggregate in all subjects in a single attempt at the Diploma in Pharmacy (part-I) or Diploma in Pharmacy (part-II) examinations shall be declared to have passed in first class the Diploma in Pharmacy (part-I)of Diploma in Pharmacy (part-II) examinations, as the case may be. Candidates securing 75% marks or above in any subject or subjects provided he/she passes in all the subjects in single attempt, will be given distinction in that subjects(s).

(d) Eligibility for Promotion to Diploma in Pharmacy (Pt. II): All candidates who have appeared for all the subjects and passed the Diploma in pharmacy part-I class. However failure in more than two subjects (each Theory paper or practical examination shall be considered as a subject) shall debar him/her from promotion to the Diploma in Pharmacy Part-II class. Such candidates shall be examined in the failing subjects only at subsequent examination.

(e) Improvement of sessional marks: Candidates who wish to improve sessional marks can do so by appearing in two additional sessional examinations during the next academic year. The average score of the two examinations shall be the basis for improved sessional marks in theory. The sessional of practicals shall be improved by appearing in additional practical examinations. Marks awarded to a candidate for day to day assessment in the practical class, can not be improved unless he/she attends regular course of study again.

(f) Certificate of passing examination for Diploma in Pharmacy (part-II): Certificate of having passes

the examination for the Diploma in pharmacy Part-II shall be granted by the Examining Authority to a successful student.

(g) Certificate of Diploma in Pharmacy: A certificate of Diploma in pharmacy shall be granted by the Examining Authority to successful candidate on producing certificate of having passed the Diploma in Pharmacy part-I and Part-II and satisfactory completion of practical training for Diploma in pharmacy (part-III).

Annexure-I

TABLE-I Diploma in Pharmacy (Part-I)

Subject	**Theory**		**Practical**	
	Hours /year	**Hrs. /week**	**Hours /year**	**Hrs. /week**
Pharmaceutics-I	75	3	100	4
Pharmaceutical Chemistry-I	75	3	75	3
Pharmacognosy	75	3	75	3
Biochemistry & Clinical Pathology	50	2	75	3
Human Anatomy & Physiology	75	3	50	2
Health Education & community pharmacy	50	2		
	400	16	375	15

TABLE-II Diploma in Pharmacy (Part-II)

Subject	**Theory**		**Practical**	
	Hours /year	**Hrs. /week**	**Hours /year**	**Hrs. /week**
Pharmaceutics-II	75	3	100	4
Pharmaceutical Chemistry-II	100	4	75	3
Pharmacology & Toxicology	75	3	50	2
Pharmaceutical Jurisprudence	50	2	-	
Drug Store and Business Management	75	3	-	
Hospital & Clinical Pharmacy	75	3	50	2
	450	18	275	11

IndiaCode

Annexure-II

PLAN AND SCHEME OF EXAMINATION FOR THE DIPLOMA IN PHARMACY

(Based on effective teaching for 180 working days in one academic session)

Table-III Diploma in Pharmacy (Part-I) Examination

Subject	Max. Marks in Theory			Max. Marks in Practical	
	Examination	Sessional	Total	Examination	Sessional
Pharmaceutics-I	80	20	100	80	20
Pharmaceutical Chemistry-I	80	20	100	80	20
Pharmacognosy	80	20	100	80	20
Biochemistry & Clinical Pathology	80	20	100	80	20
Human Anatomy & Physiology	80	20	100	80	20
Health Education & community pharmacy	80	20	100		
			600		

Table-IV Diploma in Pharmacy (Part-II) Examination

Subject	Max. Marks in Theory			Max. Marks in Practical	
	Examination	Sessional	Total	Examination	Sessional
Pharmaceutics-II	80	20	100	80	20
Pharmaceutical Chemistry-II	80	20	100	80	20

Pharmacology & Toxicology	80	20	100	80	20
Pharmaceutical Jurisprudence	80	20	100		
Drug Store and Business Management	80	20	100		
Hospital & Clinical Pharmacy	80	20	100	80	20
			600		

Note: Each paper shall consist of six questions out of which five shall be attempted. Half of the total number of papers in each year will be set and assessed by external examiners and the remaining half will be set and assessed by the internal examiners. There shall beone external and one internal examiner for each practical Examination.

Ordinance 22

ORDINANCE FOR THE ADMISSION OF STUDENTS TO THE UNIVERSITY

(For Regular on Campus Mode)

[Act – Sections 6(xviii), 28(1) (a)]

1. Application form for admission to various programmes offered by the Universityshall be as prescribed by the University from time to time.
2. The last date for the receipt of applications for admission to various Schools of theUniversity shall be fixed each year by the Academic Council.
3. The last date for admission to the Schools of the University shall be fixed eachyear by the Academic Council.
4. No person shall be qualified for admission to the University unless he/ she is sixteenyears of age before the first day of July in the year in which he seeks admission Or,if he/ she is admitted with the approval of the Academic Council to the second yearof the degree course, seventeen years of age before the first day of July in the year inwhich he is admitted or, if he/ she is admitted to the first year of the M.A., M.Sc.,M.Com., LL.B., or B.Ed. Course, nineteen years of age before the first day of July inthe year in which he seeks admission or if he/ she seeks admission to M.Phil./ Ph.D.Course he is 22 years of age.
5. No person shall be admitted to any post-graduate course unless he has passed adegree examination from the University or an examination recognized as equivalentto a degree examination of the University.
6. The number of students to be admitted in a course of study in an academic sessionshall be prescribed each year by the Academic Council.
7. Admissions to the Undergraduate / Postgraduate programmes shall be made on thebasis of VET or any other mode as prescribed by the competent body. The syllabusand paper for the same shall ordinarily be of 10+2 and Graduate level respectively.
8. Courses offered in the University shall be as prescribed by the Academic Councilfrom time to time.
9. Admission to the programme leading to the Degree of Doctor of Philosophy shallbe governed by the concern Ordinance.
10. Such candidates who satisfy the requisite qualifications may be considered foradmissions on the basis of the academic record, and/or performance of theapplicant at any entrance test/viva voce as may be prescribed in respect of each programme.
11. 15% of the seats in the academic programmes/programmes offered by theUniversity shall be reserved for students belonging to Scheduled Caste, 7½% forstudents belonging to Scheduled Tribe and 27% for students belonging to Other Backward Classes. Provided that the University may also make such special provision for the admission of candidates belonging to the physically handicapped and suchother disadvantaged groups on

IndiaCode

the recommendations of the Academic Council fromtime to time. All seats reserved for SC/ST which remains unfilled will be notifiedand filled in order of merit once the candidates belonging to SC/ST category, who are otherwise eligible to seek admission in a programme exhausts.

12. No Student shall ordinarily be admitted to more than one programme at a time.

Note: *However, students admitted to evening P.G. Diploma programme are permitted to pursue any regular programme in other institutions. Students admitted to a regular programme in the University are also permitted to pursue part-time evening Certificate/Diploma programmes of professional nature in other institutions. For this purpose, students have to seek writer permission/ N.O.C from the Dean of the concern School.*

13. The minimum and maximum duration for the programmes offered by the University shall be prescribed by the Academic Council.

14. If a student who has been admitted is found medically unfit, his / her admission shall be cancelled.

15. A student who has not completed his course of study or having completed hiscourse of study has not appeared at the examination for which he was studying inany other Indian University or in any College shall be considered for admission if seats are vacant. The procedure for such admission will be as prescribed in theconcerned regulation.

16. A candidate shall be admitted to the programme in a School on his / her enrollmentas a student of the University after paying the enrolment fee prescribed by the University. However, he/ she may be provisionally admitted to a course of study without getting enrolled; all such candidates have to get enrolled within a period asprescribed by the Academic Council.

17. Notwithstanding anything contained in any other Ordinance, no person who has been convicted of an offence involving moral turpitude shall be admitted to a courseof study or permitted to take any examination of the University until a period of twoyears has elapsed from the date of expiry of the sentence imposed on him.

18. (a) A student of the University having failed to pass any examination of the University may be registered for re-admission to the class he studied last, at the discretion of the Head of the Department of the University, within the prescribed period of registration. No enrolment fee shall be charged in such cases.

(b) If a student's name is struck off the rolls of his Department, he may be readmitted to the same class at the discretion of the Head of the Department in the same academic year or within the period of registration, if re-admission is sought in any subsequent year. No enrolment fee shall be charged in such a case.

19. If at any time it is discovered that a candidate has made a false or incorrect statement or other fraudulent means have been used for securing admission his / hername shall be removed from the rolls of the University.

Ordinance No. 23

ORDINANCE FOR FEES PAYABLE BY THE STUDENTS OF THE UNIVERSITY

[Central University Act. 2009 - Section 28(1)(e)]

1. The Executive Council on the recommendations of the Academic Council shall,from time to time prescribe the fees payable by students of the University.

2. Students admitted to various programmes of studies shall pay the fees as prescribed.

3. **Due date and mode of payment:**

1) The students shall deposit fees as prescribed by the University from time to time.

2) Fees shall be paid on or before the last date fixed by the University.

4. **Delay or default in payment:**

1) If a student does not pay fee on time, a fine shall be levied as follows:

i) 15% of the fees for the first 10 days

ii) 25% of the fees for the next 10 days

iii) 50% of the fees thereafter up to the last date notified for late fee payment.

2) The Vice-Chancellor, on his / her behalf any other officer to whom his / her power has been delegated may on the recommendations of the Dean of the School concerned, relax any of the conditions for payment of fees in special cases provided the student concerned submits a written application setting for the reasons for late payment of fee. Such applications should be submitted well ahead of the due date, so that a decision may be taken.

3) Names of the defaulters, which shall be put up on the Notice Board shall be removed from the rolls of the University.

4) A student whose name has been struck off from rolls of the University may be re-admitted on the recommendations of the Dean of the School concerned and on payment of arrears of fees in full and other dues, together with a re-admission fee as fixed by the University. However, such readmission shall be within the same semester and subject to the student fulfilling the minimum attendance criteria.

5. **Blind students exempted:**

Blind students shall be exempted from payment of all the tuition fees.

6. **Concession in fee:**

1) The Dean of the School, on the recommendations of a Committee consisting of the following, shall grant free-ships up to the percentage which may be prescribed by the University Grants Commission in his / her regard:

i) Dean – Chairman

ii) Three Heads of Department nominated by the Vice Chancellor.

iii) Three students of the Department nominated by the Vice- Chancellor.

2) If the number of applicants for free-ships is more than the number of free-ships available, the Committee referred to in sub-clause (1) may recommend half free-ships to some of the applicants so that the total of free-ships does not exceed the prescribed percentage.

3) Applications for concession in fees shall be submitted on the prescribed form to the Dean of the School concerned through the Head of the Department by 31st August or by such other date as may be specified by the Dean. Applications received after that date shall not ordinarily be entertained.

4) The following factors shall be taken into account while making recommendations on the applications of students for grant of free-ships:

i. Academic record of the student;

ii. His / her progress in studies in the case of renewal of free-ships;

iii. His / her financial position; and

iv. Any other factor, which shall also be recorded. The list of students to whom concessions have been awarded ordinarily shall be notified by 30th September.

5) Free-ships granted during the academic year shall not be renewed automatically in the following year. The Students in need of such concession shall submit fresh applications every year, which shall be considered along with new applications received in the year.

6) A free ship granted to a student may be cancelled if his / her conduct or progress in studies is found to be unsatisfactory or if his / her financial condition improves and he is no longer in need of fee concession.

7) Fees concession for SC/ST/Kashmiri migrant students and any other category as per Govt. of India directives shall be applicable.

7. **Refund of fees, security deposit etc.:**

1. Security deposit or caution money is refundable on an application from the student on his / her leaving the University, after deducting all dues, fines and other claims against him.

2. If any student does not claim the refund of any amount lying to his / her credit within one calendar year of his / her leaving the University, it shall be considered to have been donated by him/her to the Students' Aid Fund.

Explanation:

The period of one year shall be reckoned from the date of announcement ofthe result of the examination taken by the student or the date from which his/ her name is struck off from the rolls of the University.

3. If, after having paid the fees, a candidate desires his / her admission to becancelled, he shall be refunded all fees and deposits except tuition fee for onemonth, Admission Fee and Enrollment fee, provided his / her application for withdrawal is received by the Dean at least five clear days before the commencement of the academic session concerned or within five clear day safter the completion of admission. The refund of fee for students admitted inprograms recognized by regulatory body such on AICTE/ NCTE shall be asper the guidelines issued by such bodies from time to time.

4. If, after having paid his / her fees a candidate does not join the University,only the sports fee and security deposit shall be refunded to him /her,provided his / her application for withdrawal is received by the Dean notlater than 15 clear days after the commencement of the academic sessionconcerned.

5. Application for withdrawal received after the expiry of 15 days from the commencement of the academic session would entitle a student for therefund of Security Deposit / Caution Money only.

6. If a Student owes any money to the University on account of any damage hemay have caused to the University property, it shall be along withoutstanding Tuition Fee and fines, if any, deducted from the SecurityDeposit due to him.

8. **The fees for the various University Examinations shall be as follows:**

Undergraduate / Post Graduate - As fixed by the University

9. Students shall not be issued Admit Card or allowed to appear at the Examinations unless they have cleared their dues and paid the examination fee.

10. **Fees for re-checking Examination results:**

The fees for re-checking examination results at the End Semester examination shall be fixed by the University. Provided that the fees shall be refunded to the candidate if, on re-checking theresults, any error or omission is discovered in the result notified by theUniversity.

11. **Fees for the supply of Statement of Marks:**

1. Every candidate shall pay along with the examination fee, a fee as fixed by the University for the supply of statement ofmarks for each examination.

2. The statement of marks shall be sent to the candidates through the Head of the Department concerned.

3. Duplicate copies of Statement of Marks shall be supplied on payment of afee as fixed by the University for each statement of marks.

12. **Fees for issuing Transfer, Provisional and other Certificates:**

1. The following shall be the fees for issuing Transfer/Provisional and otherCertificates and for duplicate copies thereof.

a. Transfer Certificate
 Duplicate copy of the Transfer Certificate
b. Provisional Certificate of having passed an examination ofthe University — as fixed by
 Duplicate copy of the above — the
c. Degree Certificate (In-Person) — University
 Degree Certificate (by Post)
 Duplicate copy of Degree (on production of FIR)
d. Bonafide Certificate
e. Any other Certificate
f. Duplicate copy of any other Certificate

2. A student or candidate, who wishes to add or to alter his / her name as originally recorded in the University Registers shall pay a fees fixed for the purpose by the University. Such addition or alteration shall be made to his / her original name as alias in the University Enrollment Register after he has fulfilled the necessaryformalities.

3. A student who applies for alteration of the record of his / her date of birth as entered in the University Registers shall pay fees fixed for the purpose by the University. No change in the date of birth shall be made unless approved by the competent authority.

Ordinance No. 27

ORDINANCE OF THE FUNCTIONS OF DEANS OFSCHOOLS OF STUDIES

[Central University Act 2009 - Statute 5(3)]

The Dean of a School shall be the Head of the School and shall be responsible forthe conduct and maintenance of standards of teaching and research in the School. He shallbe the Chairman and Convenor of the Board of the School.

1. The Dean shall have the following powers and functions:

a) To conduct and maintain the teaching and research work in the School;

b) To take steps to promote inter-disciplinary teaching and research, wherever necessary;

c) To keep a record of the evaluation of sessional work and of the attendance of the students at lectures, tutorials, seminars or practicals wherever these are prescribed;

d) To arrange for the examination of the University in respect of the students of the School in accordance with such directions as may be given by the Schools of Studies and the Academic Council;

e) To take steps to give affect to the decision and recommendations of the School; and f) To perform such other duties as may be assigned to him by the Academic Council, Executive Council or the Vice-Chancellor.

f) To perform such other duties as may be assigned to him by the Academic Council, Executive Council or the Vice-Chancellor.

Ordinance No. 28

ORDINANCE OF DUTIES OF HEADS OF DEPARTMENTS

[Central University Act 2009- Section 28(1)(o)]

The Head of a Department shall convene and preside over meetings of the Department and shall under the general supervision of the Dean : -

a. organize the teaching and research work in the Department;

b. frame the time table in conformity with the allocation of the teaching work load as per the norms of the concerned Regulatory Body.

c. maintain discipline in the class room and laboratories through teachers;

d. assign to the teachers in the Department such duties as may be necessary for the proper functioning of the Department and assign work;

e. perform such other functions as may be assigned to him by the Dean, the Board of the School concerned, the Academic Council, the Executive Council and theVice-Chancellor;

f. initiate plan and submit any academic proposal as deemed fit for the general settlement of the academic functioning of the department on the recommendation ofthe departmental committee;

g. also exercise control over the non-teaching/technical staff in the department and regulate the departmental affairs.

Ordinance No. 29

ORDINANCE FOR APPOINTMENT OF EXAMINERS ANDMODERATORS

[Central University Act. 2009- Section 28(1)(g), Statute 12(2)(xiv)]

1. The list of the Examiners and Moderators for all examinations, except for Ph.D.degree shall be drawn up by the Board of Studies and shall be submitted to theSchool / Board of Studies concerned. The School/ Board of Studies shall scrutinize the list and forward the same to the Executive Council for approval in consultation with the Academic Council. The School Board may add up names of Examiners from the list of experts available from UGC / AIU or any such authentic source.

2. The Examiners for Ph.D. Degree shall be appointed by the Executive Council inconsultation with Academic Council on the recommendation of the School Board ofthe School concerned.

3. The question papers for examination in each subject of studies offered by theUniversity shall be moderated by a committee consisting of:

 a. Head of the Department concerned; and

 b. Not less than one and not more than two other persons appointed by the Vice-Chancellor for the purpose having expertise in the subject.

4. The question papers shall be moderated in accordance with the regulations notifiedfor this effect from time to time.

5. If more than half of a question paper is changed by the Committee of Moderators,the Vice-Chancellor may, on the recommendation of the Convener of theCommittee, initiate appropriate action against the paper setter as deemed fit.However, Moderation Committee shall submit the reason for such change in casemore than 50% questions are altered.

Ordinance No. 30

ORDINANCE FOR CONDITIONS GOVERNING THE ACCEPTANCE OF ENDOWMENT FOR AWARD OF FELLOWSHIP,

SCHOLARSHIP, STUDENTSHIP, GOLD MEDAL AND PRIZE

[Central University Act. 2009— Section 28(1)(f)]

1. The University shall not accept the endowment for the establishment of gold medal/ prize/fellowship/ scholarship/studentship, which are not given to allstudents of this / her University in the concerned programme/paper at an examination, irrespective of caste, creed, community, religion and region.

2. The University shall not accept the endowment whose corpus is less than Rs.10,00,000/- in case of Scholarship and Prize, Rs.10, 00,000/- in case of Gold Medals, Rs. 10, 00,000/- in case of Endowment lecture and Rs. 20,00,000/- for institution of a chair.

3. No endowment will be instituted without being accepted by the Executive Council.

IndiaCode

4. Where the amount of interest accruing on the corpus is not sufficient to obtain a Gold Medal manufactured, the University shall have discretion to award of prizein lieu of Gold Medal. However, before awarding such cash prize the University shall request the donor or the awardee wherever possible as to whether he/she is willing to donate additional amount to enable the University to supplement thecorpus for which Gold Medal instituted.

All offers of bequests, donations and endowments, the management whereof is to bevested in the University may be accepted on condition that the Annual income there from shall be subject to a deduction of 5% thereof which will be added to the corpus at the commencement of every financial year.

Ordinance 31

ORDINANCE FOR CONVOCATION OF THE UNIVERSITY FORCONFERRING OF DEGREES OR FOR OTHER PURPOSES

[Act Section 28(1) (o), Statute 29]

1. Convocation for the purpose of conferring degrees shall be held annually at Bilaspur on such date as the Chancellor may fix. Provided that in case the Convocation is not held in a particular year, the Vice-Chancellor shall be competent to authorize admission of successful candidates in the year on their respective degrees in-absentia and authorize the Registrar to issue the degree certificates on payment of the prescribed fee.

2. Special Convocation for conferring degrees may be held on such date as may be fixed by the Chancellor, on the recommendation of the Vice-Chancellor.

3. At the Annual Convocation the Vice-Chancellor shall present a report of the year's work in the University.

4. The procedure to be followed at the Convocation shall be laid down by the Regulations.

Prof. B. N. TIWARY, Registrar

[ADVT.- III/4/Exty./501/16]

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.04.01 16:34:18 +05'30'

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.